

राजस्व आवेदन स.144/2016 अनवान छोगाराम बनाम राजुराम वगैरह


30/01/17

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण एकरतफा। वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र कादानाड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.206 रकबा 37-15 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है।वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है,अतःखेत खसरा स.206 रकबा 37-15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व सलंगन राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।जिसमे पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगी। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहांजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र कादानाड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.206 रकबा 37-15 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। इस आशंय की तहरीर तहसीलदार सिणधरी को जारी हो।

पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
30/01/17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस

क्रमांक/रीडर/17/  
प्रार्थीगण

67

बनाम


दिनांक-30.01.2017  
विप्रार्थीगण

छोगाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरह  
जाति मेधवाल  
निवासी झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र  
कादानाड़ी तहसील सिणधरी व जिला  
बाड़मेर

राजुराम पुत्र खुमाराम वगैरह  
जाति जाट निवासी झटकानी नाडी  
पटवार क्षेत्र कादानाड़ी तहसील  
सिणधरी व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-144/16 दिनांक-30.01.2017

उपरोक्त, प्रकरण, मे, ग्राम झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र कादानाड़ी तहसील सिणधरी की  
खेत खसरा स.206 रकबा 37-15 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही  
प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित  
तारीख मुकदर कर उनकी उपस्थिति में की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा  
करेगा।


  
(नाथूसिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी  
दिनांक-30.01.2017

क्रमांक/रीडर/17/  
प्रतिलिपि-

68-71



- 1 तहसीलदार सिणधरी
- 2 पटवारी हल्का कादानाड़ी तहसील सिणधरी को भेजकर लेख है, कि निर्धारित तारिख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी छोगाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरह जाति मेधवाल निवासी झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र कादानाड़ी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी राजुराम पुत्र खुमाराम वगैरह जाति जाट निवासी झटकानी नाडी पटवार क्षेत्र तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

  
(नाथूसिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी